भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railway
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

OFFICE ORDER NO. 48 OF 2016

(Amendment No.13 to July 2013 edition of the subject list)

Sub:- Amendment in subject list of Civil Engineering and L&A Directorate

It has been decided to make the following amendments to the subject list of Civil Engineering and L&A Directorate :-

a) The Correction in the name of branches under Civil Engineering Directorate against work allotted to them, in the July 2013' Edition of Subject list is as under:-

S.No.	Existing Name of the Branch	Revised Name
1.	CE-IV	CE-I
2.	CE-I	CE-III
3.	CE-III	CE-IV
4.	CEDO(attached with CE-IV)	CEDO(attached with CE-I)
5.	Civil Defence(CD) attached with CE-IV	Civil Defence(CD) attached with CE-I
6.	CE-II	No Change

b) The following transfer of subject from Civil Engineering to L&A Directorate is also to take place with immediate effect:-

S.No.	Subjects	Existing Branch	To be transferred to/change reqd.
1.	**Item3.** Safety & other Engineering devices (v) Laying of pipelines (crossing of pipelines, transmission etc.)	CE-IV(Now CE-I)	LM(L)-I
2.	**Item3.** Safety & other Engineering devices (vi) Permission for plying of trolleys by private parties	CE-IV(Now CE-I)	-to be deleted- (However, reference if any, in future would be dealt with by CE-I Branch)

Contd/-

2. The above issues with the approval of the competent authority. The revised subje list of Civil Engineering Directorate and LM(L)-I of L&A Directorate after incorporating the changes are at Annexure-I.

V Vaidehi

NO. 2016/O&M/29/1
Dated:- 18.07.2016

(V. Vaidehi)
Joint Secretary/Railway Board

i) All Officers/Branches in Board's Office and at Metro Bhawan, Pragati Maidan
ii) RBCC for uploading on the Railnet/Internet sites.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

2016 का कार्यालय आदेश सं. 48

(विषय सूची के जुलाई'2013 के संस्करण का संशोधन सं.13)

विषय: सिविल इंजीनियरी और भूमि एवं सुविधा निदेशालयों की विषय सूची में संशोधन

सिविल इंजीनियरी और भूमि एवं सुविधा निदेशालयों की विषय सूची में निम्नलिखित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

क) विषय सूची के जुलाई, 2013 के संस्करण में दिए गए सिविल इंजीनियरी निदेशालय के अंतर्गत आने वाली शाखाओं के नाम और उन्हें आवंटित किए गए कार्यों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्रम सं.	शाखाओं के मौजूदा नाम	संशोधित नाम
1.	सीई-IV	सीई-I
2.	सीई-I	सीई-III
3.	सीई-III	सीई-IV
4.	सीईडीओ (सीई-IV के साथ संबद्ध)	सीईडीओ (सीई-I के साथ संबद्ध)
5.	सीई-IV के साथ संबद्ध सिविल डिफेंस(सीडी)	सीई-I के साथ संबद्ध सिविल डिफेंस (सीडी)
6.	सीई-II	कोई परिवर्तन नहीं।

ख) सिविल इंजीनियरी से भूमि एवं सुविधा निदेशालय को निम्नलिखित विषयों का तत्काल प्रभाव से अन्तरण भी किया जाता है:-

क्रम सं.	विषय	मौजूदा शाखा	अपेक्षित अंतरण / परिवर्तन
1.	**मद 3.** संरक्षा एवं अन्य इंजीनियरी उपकरण (v) पाइप लाइन बिछाना (पाइप लाइनों की क्रॉसिंग, ट्रांसमिशन आदि)	सीई-IV (अब सीई-I)	एलएम(एल)-I

2.	<u>मद 3.</u> संरक्षा एवं अन्य इंजीनियरी उपकरण (vi) निजी पार्टियों द्वारा ट्रॉलियों को लाने-ले जाने की अनुमति प्रदान करना	सीई-IV (अब सीई-I)	-हटा दिया जाएगा- (बहरहाल, यदि भविष्य में कोई संदर्भ प्राप्त होता है तो उसे सीई-I शाखा द्वारा डील किया जाएगा)

2. उपर्युक्त को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। परिवर्तनों को शामिल करने के पश्चात् सिविल इंजीनियरी निदेशालय और भूमि एवं सुविधा निदेशालय के एलएम(एल)-I शाखा की संशोधित विषय सूची अनुलग्नक-I पर संलग्न है।

वी. वैदेही

सं. 2016/ओएंडएम/29/1
दिनांक: 18.07.2016

(वी. वैदेही)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

(i) रेल भवन और मेट्रो भवन, प्रगति मैदान स्थित बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारी एवं शाखाएं।
(ii) रेलनेट/इंटरनेट साइटों पर अपलोड करने के लिए आरबीसीसी।